B-3 & 4
L-14
I. Polity

दण्डात्मक नजरबन्दी	निवारक नजरबन्दी
(i) विधि के उल्लंघन पर	(i) राष्ट्रीय सुरक्षा, अखण्डता लोकव्यवस्था बनाए रखना
(ii) विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार	
(iii) अपराध में शामिल	(ii) न अपील, न दलील न वकील
(iv) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना।	(iii) बिना ट्रायल, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए।

निवारक नजरबंदी व्यक्तियों के अधिकार –

(i) अनुच्छेद 22 (4-7) के बीच निवारक नजरबंदी में रखे गये व्यक्तियों के अधिकार उल्लिखित हैं जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में रखा जायेगा तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा इसकी अनुमति के बाद ही व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंदी में रखा जा सकता है।

(ii) लेकिन अनुच्छेद 22 (7) में संसद को यह शक्ति दे दी गई है कि संसद निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा का भी निर्धारण कर सकती है इसलिए TADA और

Scanned by CamScanner

POTA में 6 महीने तक नजरबंदी में रखने का प्रावधान किया गया था।

(iii) नजरबंद व्यक्ति को नजरबंदी के कारण बताये जाएंगे लेकिन लोकहित में देखते हुए कारण बताने से इंकार किया जा सकता है। और नजरबंद व्यक्ति को यथाशीघ्र अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जायेगी। नजरबंद व्यक्ति के प्रार्थना पत्र या (Representation) पर सरकार को यथाशीघ्र विचार करना चाहिए।

नजरबंदी के पक्ष में तर्क :-

- राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता के लिए इसका निर्माण किया गया।
- यह एक अपवादिक (exceptional) प्रावधान है जिससे लोकतंत्र और मानव अधिकार को सीमित करके राष्ट्रीय अखण्डता को महत्व दिया गया है।
- मणिपुर, कश्मीर जैसे राज्यों में उग्रवाद और आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है।

खामियाँ :-

- राष्ट्रीय अखण्डता के बजाय विपक्षी दल को हतोत्साहित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

- अपराधियों के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जा रहा है जो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता के विरुद्ध होना चाहिए।
- विधि के शासन के बजाय पुलिस राज्य की स्थापना होती है।

निष्कर्ष :-

निवारक नजरबंदी एक आवश्यक बुराई है जिसका दुरूपयोग दलीय हितों के लिये नही होना चाहिए अपितु राष्ट्रीय हितों के लिए होना चाहिए।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद-23

मानव दुर्व्यवहार
बेगार
बलात्श्रम

राज्य के द्वारा अनिवार्य सेवा लागू की जाती है
- सार्वजनिक उद्देश्य
सेवा में केवल धर्म प्रजाति, जाति, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नही होगा।

न्यायालय
↓
(i) एशियाड वर्कर्स केस (1983)
निर्धारित दर से कम मजदूरी - शोषण
(ii) विशाखा केस (1995)
↓
यौन शोषण

अनुच्छेद-24

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों, कारखानों और इतरनाकु उद्यमों में नियोजित नही किया जायेगा।

विरोधाभास
- 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को कहीं भी कार्य में लगाया जा सकता है।
- 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है।

1986 → बाल श्रम अधिनियम
→ 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे 3 क्षेत्रों में कार्य नही करेंगे।
- 14 वर्ष की उम्र के बच्चे किसी भी स्थान पर कार्य नही करेंगे।

Scanned by CamScanner

धार्मिक अधिकार

धार्मिक राज्य	पंथनिरपेक्ष	धर्म विरोधी राज्य
• राज्य का विशेष धर्म • धर्म को प्रोत्साहित किया जायेगा • कर • शिक्षा (धार्मिक) • विधि निर्माण	राज्य → PM → CM → DM → भौतिक → शिक्षा, स्वास्थ्य पंथ → व्यक्ति → अंतःकरण → आत्मा	• चर्च बंद • शासन बंद • पादरी समाप्त

पंथ निरपेक्ष राज्य :-

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- अनुच्छेद 25 में यह उल्लेखित है कि व्यक्ति को अन्तःकरण के रूप में किसी भी पंथ को
  (i) मानने की
  (ii) आचरण करने की
  (iii) प्रचार करने
  का अधिकार दिया गया है।

Scanned by CamScanner

(i) राज्य का कोई पंथ नहीं होगा।

(ii) राज्य के द्वारा न तो किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहित किया जायेगा और न ही किसी पंथ के विरुद्ध कार्य किया जाएगा।

(iii) इसे पंथ और राज्य के बीच का अलगाव भी कहा जा सकता है अथवा राज्य पंथ के प्रति तटस्थ होगा।

(iv) पंथनिरपेक्षता के उपरोक्त अर्थ नकारात्मक हैं जबकि सकारात्मक रूप में राज्य का सभी पंथ के साथ सर्वसमभाव होगा।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner